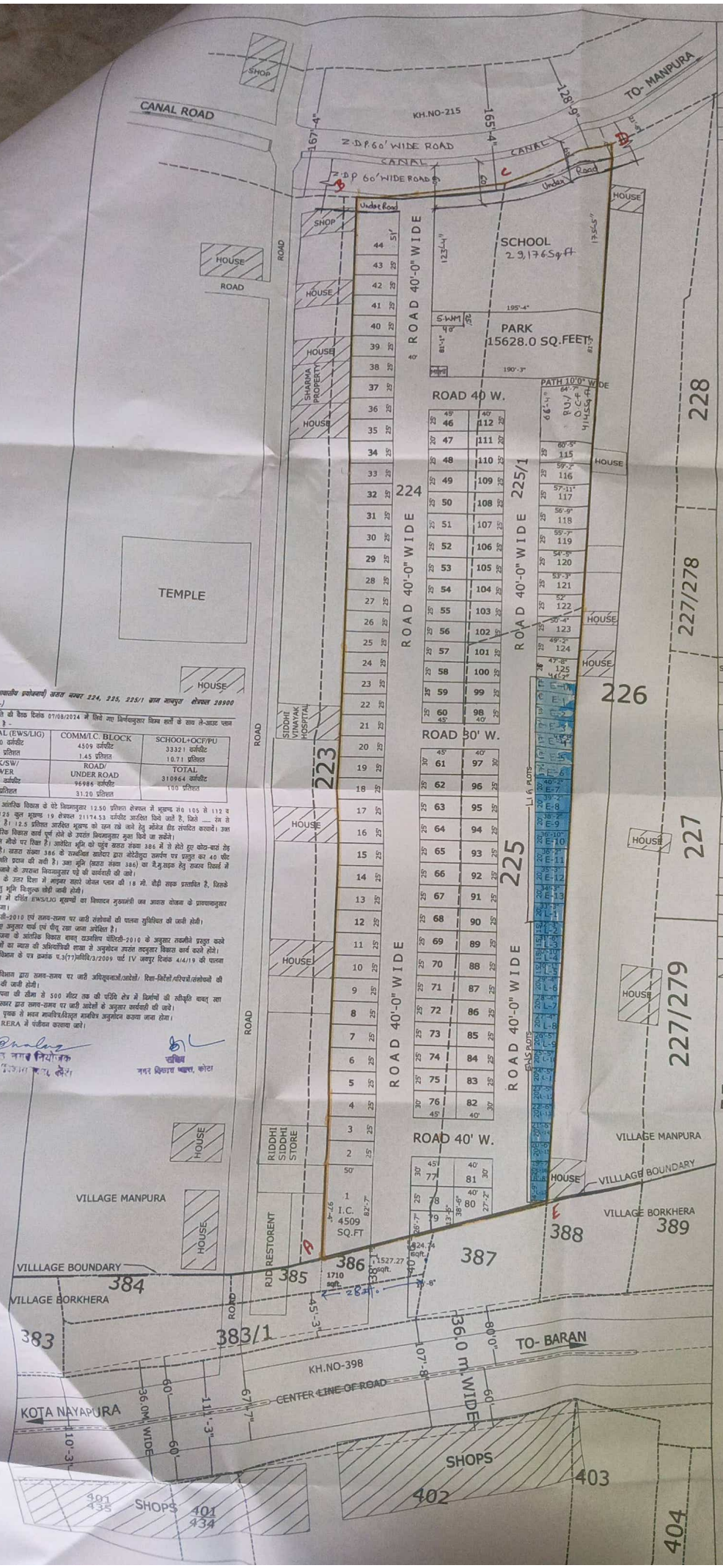

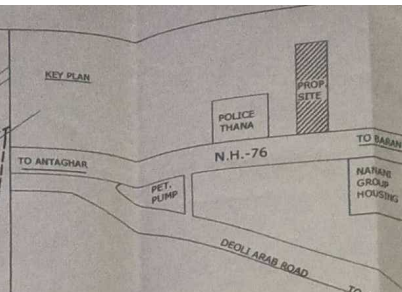

PROPOSED LAY OUT PLAN FOR RESIDENTAIL COLONY "SETH SANWARIYA DHAM"

USE IN KH.NO.224,225,$\frac{225}{1}$
VILLAGE:- MANPURA
TEH.:- LADPURA
DIST.:- KOTA (RAJ.)

N

SCALE:- 1"= 60'

OWNER NAME :-
USHA MITTAL W/O SH. MURARI LAL
MURARI LAL MITTAL S/O SH.
RAM SUKH MITTAL
MAYANK MITTAL S/O SH.
MURARI LAL MITTAL
APPLICANT NAME:-
MAKHAN LAL S/O
SH.RAM SUKH MITTAL

S.NO.	KH.NO.	AREA IN HECTREMARK
1.	224	1.54
2.	225	0.76
3.	225/1	0.59
	TOTAL AREA	2.89

TOTAL AREA :- 28900 SQ.M. =310964 SQ.FT

LAND USE ANALYSIS

S.NO.	PARTICULAR	AREA IN SQ.FT	PERCENTAGE %
1.	RESI. EWS/LIG	165665.0	53.27 %
2.	COMM./I C	4509.0	1.45 %
3.	SCHOOL	32473.00	10.44 %
4.	PARK SW/TOWER	15628.0	5.02 %
5.	ROAD/ UNDER ROAD	92726.0	29.82 %
	TOTAL AREA	310964.0	100.00 %

NOTE :-

KHASAR BOUNDARY SHOWN THUS
EWS/LIG PLOTS

SIGNATURE
ENGINEER/ARCH./
NAME/ADDRESS

ग्राम मानपुरा के ख.नं. 224, 225, 225/1 का खसरा सीमांकन बिन्दु संख्या A to E प्रमाणित किया गया।

25/7/24
पटवारी

Makhan Lal MM

25/7/2024

SIGNATURE
OWNER/PRESIDENT/SEC.
NAME/ADDRESS

तहसीलदार
नगर विकास न्यास कोटा

ले-आउट प्लान (आवासीय प्रयोजनार्थ) खसरा नम्बर 224, 225, 225/1 ग्राम मानपुरा क्षेत्रफल 28900 वर्गमीटर(Mark- —)

ले-आउट प्लान समिति की बैठक दिनांक 07/08/2024 में दिये गए निर्णयानुसार निम्न शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदन किया जाता है -

RESIDENTIAL (EWS/LIG)	COMM/I.C. BLOCK	SCHOOL+OCF/PU
160520 वर्गफीट	4509 वर्गफीट	33321 वर्गफीट
51.62 प्रतिशत	1.45 प्रतिशत	10.71 प्रतिशत
PARK/SW/ TOWER	ROAD/ UNDER ROAD	TOTAL
15628 वर्गफीट	96986 वर्गफीट	310964 वर्गफीट
5.02 प्रतिशत	31.20 प्रतिशत	100 प्रतिशत

(1) योजना के आंतरिक विकास के पेटे नियमानुसार 12.50 प्रतिशत क्षेत्रफल में भूखण्ड सं0 105 से 112 व 115 से 125 कुल भूखण्ड 19 क्षेत्रफल 21174.53 वर्गफीट आरक्षित किये जाते है, जिसे ___ रंग से दर्शाया गया है। 12.5 प्रतिशत आरक्षित भूखण्ड को रजन रखें जाने हेतु भोजेक डीड संपंदित करायें। उक्त भूखण्ड आंतरिक विकास कार्य पूर्ण होने के उपरांत नियमानुसार मुक्त किये जा सकेंगे।

(2) आवेदित भूमि मौके पर स्थित है। आवेदित भूमि को पहुंच खसरा संख्या 386 में से होते हुए कोटा-बारां रोड से उपलब्ध है। खसरा संख्या 386 के सम्बन्धित शाषीदार द्वारा कोटेशनुसा समर्पण पत्र प्रस्तुत कर 40 फीट रोड की सहमति प्रदान की गयी है। उक्त भूमि (खसरा संख्या 386) का मे.मु.सड़क हेतु राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किये जाने के उपरान्त नियमानुसार पट्टे की कार्यवाही की जावे।

(3) आवेदित भूमि के उत्तर दिशा में मांझर सहरे योजना प्लान की 18 मी. चौड़ी सड़क प्रस्तावित है, जिसके भागाधिकार हेतु भूमि निःशुल्क छोड़ी जावी होगी।

(4) ले-आउट प्लान में दर्शित EWS/LIG भूखण्डों का विक्रयादन मुख्यमंत्री जन आवास योजना के प्रावधानानुसार किया जाना होगा।

(5) राउजनिश पॉलिसी-2010 एवं समय-समय पर जारी संशोधनों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।

(6) योजना में दर्शाए अनुसार पार्क एवं पीपू रखा जाना अपेक्षित है।

(7) आवेदक की योजना के आंतरिक विकास कार्यए राउजनिश पॉलिसी-2010 के अनुसार तकमीने प्रस्तुत करने होंगे एवं तकमीनों का व्यय की अभियांत्रिकी शाखा से अनुमोदन उपरांत तदनुसार विकास कार्य करने होंगे।

(8) आवासीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक प.3(77)नविवि/3/2009 पार्ट IV जयपुर दिनांक 4/4/19 की पालना अपेक्षित है।

(9) नगरीय विकास विभाग द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं/आदेशों/ दिशा-निर्देशों/परिपत्रों/संशोधनों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।

(10) रसा संस्थापन/स्थापना की सीमा से 500 मीटर तक की परिधि क्षेत्र में निर्माणों की स्वीकृति बाबत् रसा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार कार्यवाही की जावे।

(11) आई.जी. ब्लॉक का पृथक से भवन मानचित्र/विद्युत मानचित्र अनुमोदन कराया जाना होगा।

(12) उक्त ले-आउट का RERA में पंजीयन कराया जावे।

सचिव नगर विकास न्यास, कोटा

सचिव नगर विकास न्यास, कोटा